कार्यालय कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क0 36 अ–82 / 19–20बोरगांवउर्फशेरगढ़ / 12843 बैतूल दिनांक 3 .12.19

प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल।

विषयः– ग्राम बोरगांवउर्फ शेरगढ़ तहसील मुलताई के भू–अर्जन प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत।

–0–

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत मौजा बोरगांव उर्फ शेरगढ़ तहसील मुलताई की वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर एवं
भू–अर्जन अधिकारी बैतूल

पृ0क036 अ–82,2019–20 / बोरगांवउर्फ शेरगढ़ / 12843 बैतूल दिनांक 3.12.2019

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी, (रा) मुलताई को अग्रेषित, समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।

2– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।

3– प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

5– तहसीलदार मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

6– सम्बंधित ग्राम पंचायत बोरगांव उर्फ शेरगढ़ तहसील मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

कलेक्टर एवं
भू–अर्जन अधिकारी बैतूल

D:\DATA 2.7.19\10.11.19\curs new 1

क्रमांक 36 अ/82 वर्ष 2019–20 मौजा बोरगांव उर्फ शेरगढ़ 12443 दिनांक 02/12/2019

प्ररूप "ख"

(नियम –5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

(1) परियोजना विकास का नाम :– वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

(2) लोक प्रयोजन :– वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र एवं स्पील चेनल निर्माण

(3) स्थल :– बोरगांव उर्फ शेरगढ़

(4) परियोजना का क्षेत्र :– 5700 हे.

(5) विकल्प जिन पर विचार किया गया :– यह भूमि जलाशय निर्माण के लिये अति उपयुक्त है एवं शासकीय व्यय कम आने की संभावना है ।

(6) परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई

(7) परियोजना निर्माण के चरण :– प्रथम चरण

(8) परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शेः– प्रकरण में नक्शा संलग्न है।

(9) परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :– 253.928 हे.

(10) भूमि का मूल्य ग्राम बोरगांव उर्फ शेरगढ़ :– 2,75,200/–प्रति हे.(सिंचित), 1,37,600/– प्रति हे.(असिंचित)

(11) प्रभावित परिवारों की संख्या :– 0

(12) परिसंपत्तियां – लोक सम्पत्ति – भूमि निरंक भवन निरंक अन्य
निजी सम्पत्ति – भूमि 27.931 हे. भवन 0 अन्य

(13) विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या
जिनकी भूमि अर्जित हुई – ग्रामः– बोरगांव उर्फ शेरगढ़, परिवारों की संख्या :– 0

(14) सामाजिक समाघात

(क) समाघातों का विवरण :– निष्कर्ष मे उल्लेखित है ।

(ख) समाघातों की संकेतक सूची :– निरंक।

(15) विकल्प जिन पर विचार किया गयाः–

(क) यदि हां– तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?:– लोक प्रयोजन हेतु ।

(ख) यदि नही– तो क्यों ? :– निरंक।

(16) निष्कर्षः–

(1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
(2) प्रभावित भूमि के अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।
(3) परिसम्पत्तियो के मुआवजा के संबंध में प्रचलित विधी/ नियमों के तहत् कार्यवाही की जावेगी
(4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
(5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
(6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।
(7) पर्यावरण पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा आवेदक विभाग वनीकरण हेतु आवश्यक उपाय करेगा ।

(डिप्टी कलेक्टर)
बैतूल (अध्यक्ष)
(नूतन टाले)

श्री मुरारी अग्रवाल
व्यवसायिक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित व्यक्ति (सदस्य)

उपखण्ड अधिकारी
मुलताई (सदस्य)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
आमला (सदस्य)